भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 740**

<u>दिनांक 26 जून, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

कृषि उत्पादों पर प्रतिबंध

740. श्री भर्तृहरि महताबः
श्री राहुल रमेश शेवलेः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विभिन्न कृषि उत्पादों पर समय – समय पर प्रतिबंध लगाने/हटाने हेतु क्या मानदण्ड अपनाया/अनुसरित किया जाता है;
(ख) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कृषि उत्पादों पर ऐसे प्रतिबंध लगाने/हटाने का किसानों/उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के आंकलन हेतु कोई अध्ययन करवाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों की दीर्घावधि संगत और पूर्वानुमेय निर्यात–आयात नीति बनाने का है और यदि हां तो ऐसी नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और
(घ) सरकार द्वारा कृषि उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने/हटाने के प्रतिकूल प्रभाव से किसानों/उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) एवं (ख) : कृषि उत्पादों हेतु निर्यात एवं आयात नीतियों, जिनमें अलग - अलग कृषि उत्पादों के निर्यात / आयात पर से प्रतिबंध उठाने/पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना शामिल है, को अनेक कारकों जैसे घरेलू आवश्यकताओं (बफर स्टॉक और कार्यनीतिक रिजर्व की आवश्यकता सहित, यदि कोई हो) से अधिक बेशी की उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा की चिंताओं , राजनयिक/मानवीय विचारों, अंतर्राष्ट्रीय मांग और आपूर्ति की स्थिति, मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता, उपजकर्ताओं को लाभकारी कीमतों और किफायती कीमतों पर आम आदमी को कृषि उत्पादों की उपलब्धता के बीच संतुलन आदि को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है । विगत तीन वर्षों के दौरान,किसी भी प्रमुख कृषि उत्पाद के निर्यात /आयात पर कोई प्रतिबंध अधिरोपित नहीं किया गया है। इसलिए, इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) एवं (घ): दिसंबर 2018 में सरकार द्वारा लायी गई कृषि निर्यात नीति का उद्देश्य कृषि उत्पादों हेतु स्थिर व्यापार नीति लाना है, जिसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

1) यह आश्वासन प्रदान करना कि प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद और सभी प्रकार के कार्बनिक उत्पाद किसी प्रकार के निर्यात प्रतिबंध (अर्थात न्यूनतम निर्यात कीमत, निर्यात शुल्क, निर्यात प्रतिबंध, निर्यात कोटा, निर्यात कैप्पिंग , निर्यात परमिट आदि) के दायरे में नहीं लाए जाएंगे यद्यपि प्राथमिक कृषि उत्पाद अथवा गैर- कार्बनिक कृषि उत्पाद किसी तरह के निर्यात प्रतिबंधों के अधीन लाया जाता है ।

2) कुछ पण्य वस्तुओं की पहचान करना जो प्रासंगिक पणधारियों और मंत्रालयों के परामर्श से खाद्य सुरक्षा हेतु अनिवार्य हैं । अत्यधिक कीमत की स्थिति के तहत अभिज्ञात किए गए ऐसे पण्य वस्तुओं पर किसी तरह का निर्यात प्रतिबंध उच्च स्तरीय समिति के निर्णय पर आधारित होगा । इसके अलावा, उपरोक्त अभिज्ञात की गई पण्य वस्तुओं पर किसी तरह का निर्यात निषेध और प्रतिबंध डब्ल्यूटीओ में संगत तरीके से उठाया जाएगा ।

3) मूल्य वर्द्धन और पुन: निर्यात के लिए कृषि उत्पादों का उदारीकृत आयात ।

नीति के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, 'अनिवार्य पण्य वस्तुओं' पर सचिवों की समिति के अधिदेश को कुछ पण्य वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंधों पर सिफारिश प्रदान करने हेतु विस्तारित किया गया है , जो सिर्फ अत्यधिक कीमत की स्थिति के तहत, खाद्य सुरक्षा हेतु अनिवार्य हैं ।

****